

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



क्रमांक / परीक्षा / 2023 / 337

जबलपुर, दिनांक: 7/6/23

अधिसूचना

प्रायः यह देखा जा रहा है कि एलएल.बी. एवं एलएल.एम. पाठ्यक्रम में अध्यादेश क्रमांक 111 एवं 23 (अ) का अनुपालन विधि महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा पात्रता के अभाव में अपावृ छात्रों को परीक्षा में समिलित कराया जा रहा है जिसके कारण माननीय न्यायालय में प्रकरण छात्रों द्वारा दायर किये जा रहे हैं। यदि प्रकरण में पाया जाता है कि विधि महाविद्यालय द्वारा त्रुटि या अध्यादेश का पालन नहीं किया गया, तो इसका उत्तरदायित्व संवैधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा तथा विश्वविद्यालय विधि सम्मत कार्यवाही करने के लिये बाध्य होगा।

कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,

जबलपुर

जबलपुर, दिनांक: 7/6/23

पृ.क्र / परीक्षा / 2023 / 337

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. माननीय कुलपति जी के जिस सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
2. प्रभारी, रम.पी. ऑनलाइन, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
3. समरत सम्बद्धता प्राप्त प्राचार्य, विधि महाविद्यालय।
4. विधि प्रकोष्ठ, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

उपकुलसचिव (परीक्षा)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर